# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

**पीठासीन अधिकारी** : श्री जे.पी. बैरवा, आर0ए0एस0

**राजस्व वाद संख्या** :118/2017

| वादी | बनाम | प्रतिवादी :- |
|---|---|---|
| जयन्तीप्रसाद पुत्र गोरधनदास | | तहसीलदार जैतारण |
| जाति वैष्णव निवासी-ग्राम खराड़ी, | | जिला- पाली राज0 |
| तहसील जैतारण जिला-पाली राज0 | | |

**राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

**तारीख रजू:.14/6/2017**

उपस्थितः. 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादी।

2. तहसीलदार जैतारण, सरकारी पैरोकार।

**-:: निर्णय ::-** **दिनॉकः- 05/02/2018**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थी के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा-खराड़ी पटवार हल्का डिगरना में वादी व अन्य खातेदारों की पैतृक पुश्तैनी शामलाति खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर-732/1 रकबा 07-11, खसरा नंबर 732/3 रकबा 12-14 बीघा की आई हुई है। नकल जमाबंदी वादपत्र के साथ पेश है। जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी का माफिक हिस्से अनुसार कब्जा व काश्त चला व काश्त है एवं इसी हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर के काश्त करते चला करते चला आ रहा है, उक्त आराजी में खसरा नंबर 732/1 जिसमें वादी का सही नाम जयन्ती प्रसाद चला आ रहा है जो सही है, एवं वादी का सही नाम जयन्तीप्रसाद ही है सरकारी दस्तावेजात आधारकार्ड एवं परिचय पत्र में भी वादी का सही नाम जयन्तीप्रसाद ही दर्ज है। परन्तु राजस्व रेकर्ड के खसरा नंर 732/3 मे तत्कालीन आरआई पटवारी ने वादी के जयन्तीलाल नाम का गलत इन्द्राज कर दिया है जो एक रोंग एन्ट्री की तारीफ मे आता है जबकि वादी का सही नाम जयन्ती प्रसाद है जो वादपत्र के साथ प्रस्तुत सरकारी दस्तावेजात से एवं जमाबंदी खसरा रंबर 732/1 से प्रमाणित है। जिसको दुरूस्त कराने बाबत यह वादपत्र घोषणा का श्रीमान के समक्ष पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी के खसरा नंबर 732/3 मे वादी का नाम गलत इन्द्राज है, जिससे वादी को अनेकों प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि दोनों खसरों में वादी के अलग-अलग नाम होने से बैंक से ऋण, कनेक्शन लेने एवं अन्य सभी सरकारी योजनाओ का फायदा लेने में वादी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वादी का खसरा नंबर 732/3 में गलत नाम जयन्तीलाल की जगह सही नाम जयन्ती प्रसाद दुरूस्त करने हेतु यह वादपत्र घोषणा का विरूद्ध प्रतिवादी के श्रीमान के समक्ष सादर पेश है। वादी के अन्य सरकारी दस्तावेजात में सही नाम इन्द्राज चले आ रहे है परन्तु राजस्व रेकर्ड खसरा नंबर 732/3 मे नाम गलत इन्द्राज हो जाने की वजह से अनेकों प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तथा वादी का इस ख्सरे में पिता का नाम पुखादेवी गलत इन्द्राज है जबकि वादी के पिता का सही नाम गोरधनदास है। इसलिए वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने के कारण दिनांक 24.05.2017 को प्रतिवादी को एक लिखित में प्रार्थना पत्र जमाबंदी में नाम के सही व दुरूस्त इन्द्राज कराने का प्रस्तुत किया जिस पर प्रतिवादी ने इंकार कर दिया एवं सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही करने का कहा तब वादी का यह वादपत्र बाबत अपने नाम की दुरूस्ती कराने की घोषणा कराने के बाबत बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी मे वादी के अलावा अन्य सहहिस्सेदार व खातेदार है परन्तु उनको पक्षकार नही बनाया गया है क्योकि वादी को इनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा है एवं नही अन्य सहखातेदारों के वादी के इस वादपत्र से कोई हिस्से की

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

प्रभावित हो रहे है। प्रतिवादी तहसीलदार जो कि भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि है एवं वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने से मना करने से आवश्यक एवं प्रोपर पक्षकार होने से उनको बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। बिनाय वाद दिनांक 24.05.2017 को वादी द्वारा राजस्व रेकर्ड मे अपना सही नाम दर्ज कराने हेतु प्रतिवादी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रतिवादी द्वारा स्पष्ट रूप से इंकार होने पर बमुकाम खराड़ी जैतारण में पैदा हुआ है, जो अन्दर म्याद व श्रीमान के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। इस प्रकार वकील वादी ने वादपत्र पेश कर माफिक वाद वादी एवं वादी के पिता का नाम दुरूस्त किये जाने की घोषणा करने की इस्तदूआ की।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार, जैतारण ने जबाब पेश किया सा.मि. किया गया। बहस वकील वादी की सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वाद-पत्र के साक्ष्य सबूत में ग्राम खराड़ी पटवार हल्का में स्थित खसरा नम्बर 732/1 की जमाबन्दी सं. 2070, आधार कार्ड संख्या 338200580675, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र संख्या RJ/21/159/156403 की फोटो छाया प्रतियाँ पेश की, जिससे वादीगण का सही नाम जयन्तीप्रसाद पुत्र गोरधनदास ही हैं। राजस्व अभिलेख में गलत रूप से जयन्तीलाल पुत्र पुखादेवी दर्ज नाम के स्थान पर जयन्तिप्रसाद पुत्र गोरधनदास दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

## -:: आदेश ::-

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-खराड़ी पटवार हल्का डिगरना में वादी व अन्य खातेदारों की पैतृक पुश्तैनी शामलाति खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 732/3 रकबा 12-14 बीघा भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादीगण के गलत दर्ज नाम जयन्तीलाल पुत्र पुखादेवी के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम जयन्तीप्रसाद पुत्र गोरधनदास दुरूस्त किये जाने की घोषणा की जाती हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 05/02/2018 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner